

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

वीतासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या-103/2017

जीसीएमएस नं. 2017/00207

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दापर दिनांक:- 28.07.2017

उन्वान

हरिलाल पुत्र मटरू जाति महतर निवासी हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन सिटी
जिला करौली

वादीगण-08

बनाम

घनश्याम पत्र हरिचरण जाति जाटव निवासी बन्धकानंगला तहसील हिण्डौन
जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण-04

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 25.07.2017 से आज दिनांक तक तलवाने में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है एवं वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी है। अतः मुकदमा न0 103/2017 हरिलाल आदि बनाम घनश्याम आदि आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

